Rcms 2019/00267

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– केशाराम पुत्र गुमानाराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– चूनाराम पुत्र गुमानाराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**82** ...सन्–.....**2019**....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.08.2019	प्रार्थी केशाराम पुत्र गुमानाराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण चूनाराम पुत्र गुमानाराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक, वाकै सरहद धनकोली के खसरा नम्बर 184 व सरहद रिक्साबास खसरा नम्बर 01 ता 14 की भूमि के विशेष हिस्से का विधिवत् बन्टवारा नहीं होने तक बैचाण, हस्तानान्तरण नहीं किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन् तलब होकर पत्रावली दिनाँक 30.08.2019 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
30/8/19	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील के प्राप्त नहीं हुए हैं [illegible] हो। पत्रावली [illegible] के दिनांक [illegible] पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिसल 8

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश करे पेश नहीं करने की स्थिति में 09 R5 CPC के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/1/23 को पेश हो। (initials)	
	18/1/23 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के आदेश की वकील प्रार्थी ने पालना नहीं की है अतः न्यायालय के आदेश की अवहेलना में पत्रावली 09 R05 CPC के तहत खारीज की जाती है। पत्रावली मैं नम्बर शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (initials) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner